

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

कार्यालय अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस

मूल वाद संख्या :-108/2023

शिवकुमार पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी शेरकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
पवन कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति बिश्नोई निवासी शेरकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

अग्नेजसिंह पुत्र जसवीरसिंह जाति जटसिंह निवासी 13 जी.जी.आर. मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

सिमरजीत कौर पत्नी बलजीतसिंह जाति जटसिंह निवासी चक 1 एच.एम.एच. शेरकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

-- वादीगण

बनाम्

अनिल कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाति बिश्नोई निवासी शेरकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

अरविन्द पुत्र रामेश्वरलाल जाति बिश्नोई निवासी शेरकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

कृष पुत्र अनिल जाति बिश्नोई निवासी शेरकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

कृष्णादेवी पत्नी रामेश्वरलाल जाति बिश्नोई निवासी शेरकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

किन्तुदेवी पत्नी आलोक कुमार जाति बिश्नोई निवासी शेरकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

गौतम कुमार पुत्र अरविन्द जाति बिश्नोई निवासी शेरकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

दर्शना देवी पुत्री रामेश्वरलाल जाति बिश्नोई निवासी शेरकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। (फौत)

7/1. शुभम पुत्र चन्द्रपाल जाति बिश्नोई निवासी झेलनियां तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)।

7/2. सुमित पुत्र चन्द्रपाल जाति बिश्नोई निवासी झेलनियां तहसील व जिला फतेहाबाद (हरियाणा)।

8. लक्ष्मी पत्नी औमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी शेरकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

9. सविना पत्नी पंकज जाति बिश्नोई निवासी शेरकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

10. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

-- प्रतिवादीगण



दावा अन्तर्गत धारा :- 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

निर्णय

दिनांक :- 26.07.2024

वादीगण की ओर से श्री रूपराम कासनियां अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26.07.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. पदेन सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, डिक्री जारी की जाती है कि चक नम्बर 1 एच.एम.एच. पटवार हल्का शेरकां के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 11/57 में अंकित कुल 3.238 हैक्टर मय गैर मुमकिन संयुक्त खाता की आराजी में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी

(क) वादी संख्या 1 व 2 को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 1 एच.एम.एच. के पत्थर नम्बर 172/276(50) किला नम्बर 6/2/0.025 गैर मुमकिन रास्ता, 6/3/0.202, 15/3/0.203, 17/0.061 पश्चिमी हिस्सा, 18/0.228 पूर्वी हिस्सा, कुल 0.719 हैक्टर आराजी में वादी संख्या 2 पवन कुमार को 0.253 हैक्टर व शेष 0.466 हैक्टर आराजी वादी संख्या 1 शिव कुमार को प्राप्त हुई है।

(ख) वादी संख्या 3 व 4 को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 1 एच.एम.एच. के पत्थर नम्बर 172/276(50) किला नम्बर 15/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, 16/1/0.228, 16/2/0.025 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, 17/0.192 पूर्वी हिस्सा, 24/0.253 कुल 0.723 हैक्टर।

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता कसीम कर रकमराज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त शीर्षक भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा गहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 26.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई



12
(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी प्रवक्ता
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| वाद पत्र के लिये स्टाम्प | --- | शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | --- |
| शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | --- | अर्जी के लिये स्टाम्प | --- |
| प्रदर्शों के लिये स्टाम्प | --- | प्लीडर की फीस | --- |
| रूपये पर प्लीडर की फीस | --- | साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता | --- |
| साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता | --- | आदेशिका की तामिल | --- |
| कमिश्नर की फीस | --- | कमिश्नर की फीस | --- |